

जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्य जज केशन्ती वगै० बनाम कौशलया देवी वगै० मु०नं० 83/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03.03.2025	<p>आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादीगण को रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलायी गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वकील वादी को प्रतिवादीगण के तलबी कराने हेतु तलवाना सम्मन पेश करने के लिये अंतिम अवसर दिये जाने के बावजूद भी तलवाना सम्मन पेश नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण अपने वादपत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा वादपत्र को चलाना नहीं चाहते हैं।</p> <p>अतः वादीगण का वाद पत्र वादीगण व वकील वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी तथा डिफाल्ट में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p><i>Manish</i> उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा</p>	